न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 5/2011

1. उल्फत बेगम पत्नी श्री अबदुल मजीद पुत्र श्री करीमबक्ष
2. श्री अब्दुल वहाव
3. श्री मौहम्मद इशाक
4. श्री मौहम्मद फिरोज

पुत्रगण श्री अबदुल मजीद
समस्त जाति देशवाली मुसलमान
निवासीगण बोकड़ान मौहल्ला
सरवाड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर

.....*अपीलान्टस्*

बनाम

1. श्री सोदान सिंह (मृतक) जरिये वारिसान

1/1 श्रीमती राजरानी
1/2 श्री लक्ष्मण
1/3 श्री जितेन्द्र

पुत्रगण श्री सोदान सिंह

1/4 पिंकी पुत्री श्री सोदान सिंह

समस्त जाति कायस्थ निवासी सरवाड
हाल निवासी किशनगढ़ जिला अजमेर

2. राजस्थान सरकार

.....रेस्पोडेन्टस्

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–1. श्री विकास पाराशर वकील अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री महेन्द्र सिंह चौहान वकील अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/3 की ओर से।
3. श्री शुभकरण चौधरी, सरकारी वकील।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

–: आदेश :–

दिनांक 11.05.2016

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील सरवाड़ के राजस्व ग्राम जगपुरा मे खाता संख्या 553 के खसरा नम्बर 3680/2 मिन रकबा 15 बिस्वा भूमि की गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 305 दिनांक 08.10.1998 से तहसीलदार सरवाड़ द्वारा श्री सोदान सिंह श्री रामसिंह व श्री हीरासिंह पुत्रगण श्री भंवरलांल समस्त जाति कायस्थ साकिन देह के नाम स्वीकृत कर दिया। अपीलान्टस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 305 दिनांक 08.10.1998 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। अपील के विचाराधीन रहते – अप्रार्थी संख्या 1 श्री सोदान सिंह की मृत्यू हो जाने पर मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाकर नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/3 जरिये वकील उपस्थित हुए। मियाद के बिन्दू पर अप्रार्थीगण द्वारा

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

कोई एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीज पेश करने मे हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील अपीलान्टस ने अपील मे उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 6791 मे से 5 बीघा भूमि का आवंटन श्री भंवर लाल पुत्र श्री कल्याण जाति कायस्थ निवासी सरवाड़ के पक्ष मे किया गया था। वरवक्त एकीकरंण नये खसरा नम्बर 3680 रक्बा 5 बीघा 15 विस्वा होने से श्री भंवर लाल के नाम कुल 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि और खातेदारी मे दर्ज की गई तथा उनकी मृत्यू पश्चात विवादित भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात पटवारी हलकस द्वारा आवंटी के पक्ष मे गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण भर कर तहसीलदार सरवाड़ के समक्ष प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.09.1977 को आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त न होने के कारण नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया। इस कारण विवादित भूमि पुनः सिवायचक दर्ज हो गयी, किन्तु कब्जा अपीलाटन्स के पूर्वजों का ही रहा। तत्पश्चात श्री सोदान उर्फ शिवदान सिंह पुत्र श्री भंवर लाल ने एक वाद विवादित भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के न्यायालय के प्रस्तुत किया जिसमे प्रतिवादी संख्या 2 अपीलान्टस के पूर्वज श्री करीम खां अंकित थे। उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा उक्त वाद अपने आदेश दिनांक 27.12.1990 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि विवादित भूमि पर अपीलान्टस के पूर्वज श्री करीम खां का कब्जा काश्त है। उक्त निर्णय एवं डिकी के विरूद्ध श्री सोदान उर्फ शिवदान ने एक अपील एवं एक अपील करीम खां पुत्र नूरखां ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समश प्रस्तुत की । उक्त न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.01.1996 से श्री करीम खां की अपील निरस्त कर श्री शिवदान की अपील स्वीकार करते हुए आवंटी श्री भंवरलाल के वारिसांन के पक्ष मे पुनः गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश परित किये। वकील अपीलान्टस ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 19.01.01996 के विरुद्ध अपीलान्टस के पूर्वज द्वारा दो अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। मण्डल द्वारा एक अपील निरस्त कर दी गई दूसरी अपील को आंक्षिक रूप से स्वीकार करते हुए श्री भंवर लाल के वारिसान को पुनः खातेदारी में दर्ज करने के आदेश को निरस्त कर दिया। जिससे सम्पूर्ण आराजी सिवायचक दर्ज करने के आदेश यथावत रहे। इसी दौरान हल्का पटवारी ने विवादित खसरा नम्बर 3680/2 का नामान्तरकरण संख्या 305 दिनांक 05.10.1998 श्री सोदान सिंह, श्री रामसिंह व श्री हरि सिंह पुत्रगण श्री भंवरलाल के नाम भर कर इस प्रकार नोट अंकित किया कि "श्रीमान जी 10 वर्ष पूर्ण होने पर गैर खातेदारी से खातेदारी का एवं श्रीमान् तहसीलदार साहब के मौखीक निर्देशानुसास की अनुपालना में गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण भर कर पेश है।" उनका आगे कथन है कि जब अप्रार्थी संख्या 1 व पूर्वज को इस विवादित भूमि को निरस्त हो जाने के पश्चात आंवटन की पालना मे भरा गया नामान्तरकरण दिनांक 26.09.1977 को निरस्त हो गया तो उसके पश्चात किसी भी रूप मे अप्रार्थी संख्या 1 अथवा उसके पिता का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है, इसके बावजूद आक्षेपीय नामान्तरकरण विधि विरुद्ध रूप से स्वीकृत किया गया है इसे निरस्त योग्य है । अन्त मे उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलपन्टस स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामन्तरकरण संख्या 305 दिनांक 08.10.1978 निरस्त किया जावे।

Scanned by CamScanner

वकील अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब मे वकील अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि विवादित भूमि से सम्बंधित अपील डिक्री टी.ए संख्या 39/96 जिला अजमेर बउनवानी करीम खान बनाम शिवदान सिंह माननीय मण्डल की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 14.09.1998 को निर्णित की गई है जिसके अन्तिगत पैरा में "Defendent appliant had no right what so ever in the land in dispute" माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा परित आदेश दिनांक 14.09.1998 के आधार पर वर्तमान अपीलान्ट को अपील प्रस्तुती का कोई लोकस नही है। उन्होने यह भी कथन किया कि उक्त अपील पूर्व में न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2015 को कमीपूर्ति के निरस्त की जा चूकी थी। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2015 के विरूद्ध केवल सक्षम न्यायालय मे ही अपील संधारण योग्य है। आदेश 41 नियम 19 जा0दी0 के तहत अदत तकमील/कमीपूर्ति मे निरस्त प्रकरण नम्बर पर लेने का प्रावधान नहीं होने से अपील प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के उवलोकन से स्पष्ट है कि विषादित भूमि खसरा नम्बर 6791 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन श्री भंवरलाल पुत्र श्री कल्याण जाति कायस्थ निवासी सरवाड़ के पक्ष मे किया गया था तथा एकीकरण में नये खसरा नम्बर 3680 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा बने जिस पर आवंटी के पक्ष मे गैर खातेदारी अंकित कर दी गई। आवंटी की मृत्यु पश्चात विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज हो जाने के कारण मृतक के वारिसान एवं अपीलान्टस के पूर्वजों के मध्य विभिन्न व न्यायालयों में प्रकरण चलाने के पश्चात माननीय राजस्व मण्डल के अन्तिम निर्णय से भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार के मौखिक आदेश से आक्षेपीय नामान्तरकरण भरकर वास्ते स्वीकृति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा तहसीलदार सरवाड़ द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अवैधानिक रूप से सिवायचक भूमि का नामान्तरकरण स्वीकार किया है जो विधि विरूद्ध है। फलस्वरूप अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 305 दिनांक 08.10.1998 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.05.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास गया।

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner